कमीटी की रिपोर्ट का सारांश
सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए हालिया बजटीय सुधार

- संसद के एस्टेट्स कमीटी (पेश: निरीश भालवंद्र बाट) ने 19 मार्च, 2021 को ‘सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए हालिया बजटीय सुधार’ विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीटी ने केंद्र सरकार के कुछ बजटीय सुधारों और केंद्र एवं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थितियों पर उसके प्रभाव पर विचार किया।

- राज्यवार आबंटन: कमीटी ने कहा कि यूनियन बजट एट अ ग्लास नामक दस्तावेज में बजट की झलकियां होती हैं जिसमें मुख्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के आबंटन भी शामिल होते हैं। हालांकि इस दस्तावेज में राज्य सरकारों को आबंटन धनरातश का उल्लेख नहीं होता। कमीटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितनी धनरातश आबंटित की है, लोगों की राहत यह जानने में होती है। ऐसा न होने पर आम आदमी को बजटीय आबंटन के बारे में यह स्पष्ट नहीं होता कि कितनी राशि राज्य सरकार से मिलने वाली है, और कितनी केंद्र सरकार से। कमीटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बजट दस्तावेजों में राज्यवार आबंटनों का विवरण शामिल कराए ताकि राज्यों को हस्तांतरित धनरातश में पारंपरिक लाइड जा सके।

- केंद्रीय बजट दस्तावेजों की पठनीयता: कमीटी ने कहा कि केंद्रीय बजट दस्तावेज इतने बड़े होते हैं कि आम आदमी और जन वित्तीय विश्लेषियों के पास उन्हें पढने और समझने का कारण नहीं होता। कमीटी ने सुझाव दिया कि सोसाइटी में बजट पेश होने के तुरंत बाद संसद सदस्यों के लिए एक द्रुतगत संदेश आयोजित किया जाना चाहिए और बजट दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

- बैंक खातों में राज्यों की खर्च न होने वाली शेष राशि: कमीटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित राशि राज्य ट्रेजरीज़ में तय तक राशि रहती है, जब तक कि उन्हें बाहरी वेतन एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं किया जाता। कमीटी ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों योजनाओं/अनुमोदनों की शेष राशि, जो खर्च नहीं होती, को बैंकों में जमा कर देती है जिन पर उन्हें अच्छा-बासा व्याज मिलता है। कमीटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को बैंकों में राज्य सरकार की ऐसी शेष राशि से अर्जित व्याज को विनिमय करना चाहिए और उनके द्वारा अर्जित धनरातश के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए (अगर ऐसे दिशानिर्देश न हों)।

- बजट चक को आगे बढ़ाना: कमीटी ने कहा कि 2017-18 से शुरू होने वाले केंद्रीय बजट चक को आगे बढ़ाकर संसद ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले एप्रिलिएशन (वित्तों में कम) जोड़ी है। परिणामवर्तमान वर्ष की शुरुआत में ही मंजूरियां को पूरा बजट उपयोग जमा करता है और राज्यों को केंद्रीय बजट के अनुसार, अपने बजट की योजना बनाने और उसे पेश करने का समय मिल जाता है। कमीटी ने कहा कि वर्ष 2017-18 के पूर्व तीन महीनों में केंद्र सरकार के व्यय की रफ्तार बढ़कर होती, जब तक कि उन्हें कानूनी अनुमोदनों का विस्तार करने का समय मिल जाता है। कमीटी ने सुझाव दिया कि आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) 2018-19 में व्यय के कम होने के कारण की समीक्षा करें और इस संशोधन में उचित उपयोग करके।

- कम खर्च होना: कमीटी ने कहा कि डीईए को सभी मंजूरियों के व्यय की हर छत महीनों में समीक्षा करना चाहिए। साथ ही अब तक के व्यय एवं शेष वर्ष में राज्य की व्यय क्षमता के आधार पर वर्ष की अधिकतम सीमा में संकेत करना चाहिए। कमीटी ने कहा कि बजट चक को आगे बढ़ाने के बावजूद 2017-18 में 99, 2018-19 में 97 और 2019-20 में 100 विभागों में बजट हुई (यानी अब्जित राशि का पूरा
व्यय या उपयोग न होना। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस मोर्चे पर बजट या को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह प्रमुख रूप से और केंद्रीय वजन में सरकार को उपलब्ध धनराशि का इकट्ठा और पूरा उपयोग हो सके।

- योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण: कमिटी ने कहा कि मंत्रालय/विभाग का सचिव, चीफ एकाउंटिंग अधीरिती होने के नाते, प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि कमिटी ने कहा कि डीईए का सचिव जोकि केंद्र सरकार की एकाउंटिंग का ओवरआउट केंद्रीय होता है, भी समान रूप से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। कमिटी ने सुझाव दिया कि डीईए को एक ऐसी त्वरण सही संज्ञान बनाने चाहिए जो प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रमुखता पर नजर रख सके। इससे बजट आंदोलन करते समय आदतन केंद्रीय में प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन की तारीख करने के लिए जिम्मेदार है। कमिटी ने सुझाव किया कि डीईए को एक ऐसी त्वरण सही संज्ञान बनाने चाहिए जो प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रमुखता पर नजर रख सके। इससे बजट आंदोलन करते समय आदतन केंद्रीय में प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन की तारीख करने के लिए जिम्मेदार है। कमिटी ने सुझाव किया कि डीईए को एक ऐसी त्वरण सही संज्ञान बनाने चाहिए जो प्रोजेक्ट्स/योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रमुखता पर नजर रख सके।